

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/3/ई वी एम/2016/एसडीआर/खंड ।

तारीख 2 फरवरी, 2016

सेवा में,

1. उत्तर प्रदेश,
2. मध्य प्रदेश,
3. कर्नाटक,
4. बिहार,
5. तेलंगाना,
6. महाराष्ट्र,
7. पंजाब,
8. त्रिपुरा,

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: राज्य विधान सभा के उपनिर्वाचन, 2016 - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग।

महोदय,

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में, आयोग के तारीख 2 फरवरी, 2016 के निदेश सं. 576/3/ई वी एम/2016/एसडीआर/खंड. 1 को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 - मुजफ्फर नगर, 274- बीकापुर एवं 5 - देवबंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के 56 - देवदुर्गा (अनुसूचित जनजाति), 50- बीदर एवं 138- हर्ब हेब्बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 35 - नारायणखंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65- मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130- पलघार (अनुसूचित जनजाति) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब के 24- खाडूर साहिब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 31- हरलाखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, और त्रिपुरा के 42 - अमरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहां तारीख 20.01.2016 (बुधवार) को अधिसूचित विधान सभाओं के वर्तमान उप-निर्वाचनों में मतों को डालने एवं रिकॉर्ड करने का कार्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सहायता से किया जाएगा। निदेश को शीघ्र ही राज्यों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राजपत्र की दो प्रतियां आयोग को सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए अग्रेषित की जाएं।

2. मुझे मतदान मशीनों के डिजाइन, बैलटिंग यूनिट पर मतपत्र के प्ररूप एवं भाषाओं, निविदत्त मत पत्र के डिजाइन एवं भाषा और मतदान के बाद बोटिंग मशीनों को सीलबंद करने की रीति के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का भी निदेश हुआ है। इस बारे में अध्याय XI, "डाक मत पत्र और बोटिंग मशीनों के लिए मत पत्र", रिटर्निंग आफिसर के लिए पुस्तिका, 2014 अंक में अंतर्विष्ट संबंधित अनुदेश का भी पालन किया जाए।

3. उपर्युक्त अनुदेश को सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाया जाए।

4. मतगणना के संबंध में आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के उपबंधों और रिटर्निंग आफिसर के लिए पुस्तिका, 2014 के अध्याय XV में यथा अंतर्विष्ट मतगणना संबंधी विस्तृत अनुदेशों एवं निदेशों की ओर भी आकृष्ट किया गया है (जहां ई वी एम का प्रयोग होता है)। रिटर्निंग आफिसर को अनुदेश दिया जाना चाहिए कि वे उक्त निदेशों एवं अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पालन करें।

5. कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

(एन टी. भूटिया)
अवर सचिव

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक,
बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और
त्रिपुरा राज्यों के शासकीय
राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख - 2 फरवरी, 2016

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2016/एस.डी.आर/खंड-1:- यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यतः आयोग ने उत्तर प्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एवं 5-देवबन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग (अ.ज.जा.), 50-बीदर एवं 158-हेब्बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाना के 35-नारायणखंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र की 130-पालघर (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र, पंजाब के 24-खाडूर साहिब विधान सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान सभा क्षेत्र और त्रिपुरा के 42-अमरपुर विधान सभा क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

3. अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उत्तर प्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एवं 5-देवबन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग (अ.ज.जा.), 50-बीदर एवं 158-हेब्बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाना के 35-नारायणखंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130-पालघर (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र, पंजाब के 24-खाडूर साहिब विधान सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान सभा क्षेत्र और त्रिपुरा के 42-अमरपुर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 20.01.2016 (बुधवार) को उक्त राज्यों में अधिसूचित किए गए विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं।

आदेश से,

(अनुज जयपूरियार)
सचिव